find in the

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा / प्राशि / शैक्षिक / एबी / 3511 / 2011—12 दिनांक 26-10.12 प्रेषकः— डा.रविकुमार सुरपुर निदेशक IAS

प्रेषिती :--जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा(समस्त)

विषयः---परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम (सत्र 2012--- 2013 से लागू)बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.1(4)प्राशि / 2012 दिनांक 08.10.12 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम 2012–2013 से लागू होंगे। इस कक्षौन्नति नियमों के अनुरूप परीक्षा एवं कक्षौन्नति की प्रकिया संपादित करने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को भी निर्देशित करावें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार



|9 निदेशक

प्रतिलिपि निमनांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:– 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,जयपुर ।

- 2. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा।
- 3. संपादक,शिविरा पत्रिका को सात अतिरिक्त प्रतियों के प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं।

राजस्थान सरका आरम्भिक शिक्षा विभ

कमार्क : प. १ (४)/ प्राशि/ २०१२

जयपुर, दिनांक: 8.10.12

परिपत्र

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा संहिता) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों / परिवर्धनों के अतिक्रमण में शैक्षिक रात्र 2012–2013 से निम्न परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम लागू किये जाते है। इनकी पालना सुनिश्चित करावें :--

प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (सत्र 2012–2013 से लागू) 1. क्षेत्र

- ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाऐंगे तथा राजस्थान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।
- यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

2. सामान्य निर्देश

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता-

- कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेगें जिन्होने किसी शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।
- 2. विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/ अभिलेख, आंगनबाडी अभिलेख अथवा माता पिता था संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक आयु अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र, के अभाव में प्रवेश से इन्कार नहीं किया जायेगा। आयु अनुरूप प्रवेशित बालको की दक्षत्ताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- राज्य सरकार द्वारा मान्य, बिन्दु–1 में उल्लेखित संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता --

1. कक्षा 1–8 तक सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संस्था प्रधान अनुपस्थिति के कारणों की सन्तुष्टि के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख/अर्द्ध–वार्षिक <u>परीक्षा की व्यवस्था पृथक से करेगा।</u> यह परीक्षा उन्ही विषयों की आयोजित की जाए जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहा है।

Page 1 of 5

des.

If a student takes late admission earlier we used to mark him 'NA (Not Admitted) and exempt him from such test and finalise his result out of 190 marks instead of 200 in that particular subject.

Now we should conduct test and enter marks⁺

(is this rule applicable in cases of both absence a late admission or only absence)

2. कक्षा 1 से 8 तक में नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधि) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। यह न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होगी।

3 जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा 2.2 (2) के अनुसार आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जावेगा।

In case of a drop out being given re-admission, will the student appear for all his missing tests and half yearly exam. What about the 4. संस्था प्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से missing tests of a वार्षिक परीक्षा में बैटने के लिए उपस्थिति में अपने विवेकानुसार अधिकतम <u>10 प्रतिशत</u> student seeking तक छूट दें सकेंगें। विद्यार्थी द्वारा रूग्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अदधि में प्रस्तुत

2.3 परीक्षा तैयारी अवकाश -

किया जायेगा।

late admission.

- शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। इन दिनों में विद्यालय खुला रहेगा। अध्यापक व अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कार्य पूरा करेगें। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
- 2. जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, वहाँ बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 1 से 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु दोपहर 12.00 से सायं 2.30 बजे तक शिविरा पंचांग के अनुसार समयावधि रहेगी।
- 2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था
 - सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जायेगी। संस्था प्रधान सामयिक परखों, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें।
 - 2. संस्था प्रधान मूल्यांकन कार्य हेतु सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिये प्रत्येक विषय हेतु एक सतत मूल्यांकन <u>फोल्डर</u> (फाईल) उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा किये गये मौलिक कार्य आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, रखास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। यह फोल्डर विद्यालय में संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा संघारित किया जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी किया जाएगा।

00

Page 2 of 5



2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएं --

संबंधित सत्र में विभागीय पंचाग में दिये गये निर्देशानुसार कक्षा 1से 8 तक की सामयिक परख एवं परीक्षाएं आयोजित होंगी।

2.6 शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन (परीक्षा परिणाम) -

- संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को निश्चित दिनांक पर विद्यालय में बुलाकर <u>दिखाये जाएगें</u>। इस दिन अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अवगत करायेंगें।
- शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनाक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् प्रगति पत्र अभिभावकों को दिये जाएगें।
- 2.7 पूर्णांक —

कक्षा 1 से 8 हेतु विभिन्न सामयिक परखों एवं परीक्षाओं के लिये विषयवार अंक विभाजन संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग के अनुसार होंगें।

- 2.8. उत्तीर्णता नियम --
 - विद्यार्थियों को उनकी सामयिक परखों, अर्द्ववार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताकों के योग के आधार पर ग्रेड दी जायेगी।
 - 2. ग्रेड निर्धारण नियम –

कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'क' के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ग' के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएगें। प्राप्ताकों के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जायेगी :--

क्र.सं.	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ग्रेड
1	० से 30 प्रतिशत तक	₹ / E
2	31 से 50 प्रतिशत तक	डी / D
3	51 से 70 प्रतिशत तक	सी / C
4	71 से 85 प्रतिशत तक	बी / B
5	86 से 100 प्रतिशत तक	Υ/Α ·

नोटः--1. प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जायेगा। तीनों परखों, अर्द्ववार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

2. कक्षा 1 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण / प्रोन्नत घोषित किये जायेंगें।

2.9 अतिरिक्त शिक्षण – For what minimum percentage ofmarks should a student be marked passed? Earlier the cut off for passing was 36%, is it now 30% (i.e., 'E' grade obtaining students)?

 प्रत्येक सामयिक परख/अर्द्ध--वार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जॉच होगी तथा इस पुनः जॉच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जायेगी।

Page 3 of 5.

Re-test after every Unit Test may not be required because the student may not do well in one test but can still improve his performance (in the second or third test. After all his final result is computed on his overall performance.

Ħ

2. विशेष परीक्षा -

 वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन सभी विषयों में 1–15 मई की अवधि में अतिरिक्त शिक्षण दिया जाकर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी। his original exam. and improvement exam?
इस विशेष परीक्षा के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता हे तो उसे आगामी सत्र के प्रारम्भ से आगामी कक्षा के साथ-साथ उन विषयों के लिए जिनमें अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जायेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।

3. सतत मूल्यांकन फोल्डर का रखरखाव –

विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन फोल्डर को विद्यालय में संधारित किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन फोल्डर <u>अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने तक</u> संधारित किया जायेगा। इस सतत मूल्यांकन फोल्डर में दर्शाये गये मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल की प्रविष्टि परीक्षाफल पंजिका में स्थायी रूप से अंकित की जायेगी। परीक्षाफल पंजिका 5 वर्ष तक एवं सतत मूल्यांकन फोल्डर एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जायें।

4. विद्यार्थी संचयी अभिलेख

विद्यार्थी संचयी अभिलेख विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों/पक्षों की. प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में बालक के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक भावात्मक विकास, पसन्द, रूचि, मजबूत पक्ष एवं एक समय विशेष में होने वाली प्रगति का आकलन परिलक्षित होता है।

- 1. अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के अधिकांश कॉलम की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर दी जाये।
- 2. संचयी अभिलेख प्रपन्न में विद्यार्थी के अध्ययन काल के वर्षों से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित की जायें। जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाता है, उस समय कक्षाध्यापक द्वारा समस्त पूर्ति की जॉच की जाकर संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर सहित विद्यार्थी को यह अभिलेख उपलब्ध करवाया जाये।
- 3. कक्षा 1-8 में संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास आदि का विवरणात्मक कथन का निर्धारण कक्षाध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श करने के उपरान्त दर्ज किया जाना है। वर्ष पर्यन्त विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में घटनावृत अभिलेख "सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल)" में संधारित किया जायेगा। सत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर समेकित टिप्पणी अंकित की जायेगी।
- 4. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी कारणवश विद्यालय छोड़ अन्यत्र कहीं अध्ययन हेतु पलायन करता है तो उसका संचयी अभिलेख प्रपत्र उसकी अध्ययनरत कक्षा के स्तर तक का भरा जाये तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाये।

aps

Page 4 of 5

5. अन्य नियम-

qualify himself for the

what should his

certificate of completion

progress report reflect,

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये. जाने पर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जायेगा।

परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को If a student of class 8th fails to come upto the minimum प्रेषित की जायेगी।

- learning level and does not 3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दिए जायेंगें।
- of Elementary Education, 4. प्रगति पत्र की पूर्ति संचयी अभिलेख प्रपत्र के आधार पर की जायेगी।
- 5. प्रगति पत्र / प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क 5 रूपये प्राप्त कर दी जायेगी, जिस पर द्वितीय प्रति ओंकेत कर तथा स्थाई अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी एवं तृतीय प्रति 10 रूपये निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जाये। 'promoted' or 'failed' and what will be his position

for admission to class IX संलग्न :- विषयवार अंक विभाजन (परिशिष्ट क, ख एवं ग)

- 1. परिशिष्ट क कक्षा 1 व 2
- 2. परिशिष्ट ख कक्षा 3 से 5
- 3. परिशिष्ट ग कक्षा 6 से 8
- परिशिष्ट घ संचयी अभिलेख प्रपत्र

(वीनू गुफ्ता)

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री / राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर। 1.
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर। 2.
- निर्देशक, अर्रम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। X.

निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण' संस्थान, उदयपुर। 4.

- सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर। 5.
- समस्त शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-1/2/5/6)/प्राशि(आयो.) विभाग। 6.
- रक्षित पत्रावली । 7.

शासन उप सचिव

Page 5 of 5

		f	वेषयव	ार अंक वि	वेभाजन ः	कक्षा	1		0				विष	यवार अंव	ह विभाज	न : व	हक्षा २		
Arra	अर्द्ध—वार्षिक		वार्षिक		सर्व योग		Өмч	अत	<u>ई</u> —वार्षिक	;	1	वार्षिक			सर्व र	ग्रेग			
विषय	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	विषय	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग
हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200	हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200
गणित	70	30	100	70	30,	100	140	60	200	गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200
अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100	अंग्रेज <u>ी</u>	35	15	50	35	15 .	50	70	30	100
पर्या	वरण	50			50			100		पर्या	वरण	50			50			100)
कार्या	नुभव	25			25			50		कार्या	नुभव	25			25			50	
कला	शिक्षा	25			25		_	50		कला	शिक्षा	25			25 .			50	
खा.	शेक्षा -	50			50			100		स्वा.f	शेक्षा	50			50			100	

2.7 विषयवार अंक विभाजन कक्षा- 1, 2

नोट :- 1. पर्यावरण, कार्यानुभव, कला शिक्षा व रवाख्थ्य शिक्षा का गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी। 2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

परिशिष्ट (ख)

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 3 से 5)

क्र.सं	विषय		सामयिक	जांच	अद	वार्षिक मूल	यांकन	व	र्षिक मूल्यांक	ञ्च .	(\
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	मौखिक	लिखित	. योग	गौखिक ;	लिखित	योग	सर्व योग
1.	हिन्दी	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	5	10	25	35	20	30	50	100
3.	गणित	10	10	10	20	50	70.	· 40 .	60	100	200
4.	पर्यावरण अध्ययन	10	10	10	20	50	70	.40	60	100	200
		प्रथम मूल	यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय म्	्ल्यांकन	चतुर्थ म्	्रत्यांकन	पंचम मू	ल्यांकन	योग
5.	कार्यानुभव	20		20	20		2	0	20)	100
6.	कला शिक्षा 20			20	20	2	20	o 0	20		100
	रवास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	20		20	20)	2(D .	20	1	100

नोट :- 1. क्रम संख्या 5, 6 व 7 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सामयिक जांच तथा अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के साथ ही किये जायेंगे एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।



	परीक्षा का प्रकार		प्रथम पररव			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक		
नर ! र :		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गातिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्राचोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	सिखित (रिक्षक द्वास)	गतिविर्ग्ध भौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिदिधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिःक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गातिविधि मौरिधक, प्रोजेक्ट, प्राथोगिःक (रिंग्लेक द्वारा)	सोग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक प्रोजेक्ट, प्राथोगिक रिक्षिक द्वारा)	킄	योग
1.	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
3.	तृतीय भाषा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
4.	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
5.	विझान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
6.	सा. विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार		प्रथम मूल्यांकन			द्वितीय मूल्यांकन			तृतीय मूल्यांकन	-		चतुर्थ मूल्यांकन		 पं	यम मूल्यांकन	योग	ग्रेड
7.	कार्यानुभव		20			20			20			20			20	100	
8.	कला शिक्षा		20		565	20			20			20			20	100	
9.	स्वाख्य एवं शा. शिक्षा		20			20			20		1471 - 1472 - 14	20			20	100	

.

2.7 विषयवार अंक विमाजन (कक्षा 6 से 8)

(i) (ii)

.

नोट — 1. क्रम संख्या 7. 8 एवं 9 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं <u>ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी</u>। 2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।



परिशिष्ट (ग)

सत्र		
	से र	ाक
वेद्यालय का नाम	उ	गयस कोड
वेद्यार्थी का नाम		
लेगः छात्र/छात्रा श्रेणी		64 64
गता का नाम	पिता का नाम	
तंरक्षक का नाम	विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध	I
ष्रधाः प्रवेशांक	प्रवेश दिन	ia
तन्म दिनांक (अंकों में)	जन्म दिनांक (शब्द	ॉ में)
वेशेष आवश्यकता (सीडब्लूएसएन) विवरण (यदि कोई हो तो) ए	मआर एचआई तीथाई ओएल
	, , ,	(सही का निशान अंकित करें)
थायी पता :		
थायी पता :		
न्यत्र जाने का कारण		
क्षा उत्तीर्ण प्रवेश भिलेख प्रपत्र जारी करने की दिनांक	योग्य कक्षा	
		а. Г.
क्षाध्यापक का नाम	हस्ताक्षर	प्रधानाध्यापक का नाम

र्तंज्ञानात्मक क्षेत्र –

TANK TOTAL LAND

कक्षा 1-2 हेतु प्रारूप

विषय	हिन्दी	गणित	O Gio		T		
	10.41		अंग्रेजी	पयावरण	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य शिक्षा
ग्रंड							

समेकित टिप्पणी (सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता; स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में)--

कक्षा 3–8 हेतु प्रारूप

ज्क्षा विषय	A A			······			- মন্ন	*****	
1444	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन / विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	संस्कृत	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा
ग्रेड									ाशका

समेकित टिप्पणी (आत्म विश्वास, देखभाल, सहयोग, पहल, समय की पाबन्धी, सृजनात्मकता, रुचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में) –

विद्यार्थी उपस्थिति विवरण -

सत्र	कक्षा	कुल मीटिंग	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	नियमितता पर टिप्पणी
		·			
	† —				
		5			

							50 ST	
संज्ञानात्मक क्षेत्र —	······		-	कक्षा 1-8 व	11 ⁻²		कक्षा—७	कक्षा–८
विषय	कक्षा—1	कक्षा–2	कक्षा3	कक्षा4	कक्षा5	कक्षा—6		
	सत्र	सत्र	सत्र	सत्र	सत्र	सन्न	सत्र	सत्र
हिन्दी								
गणित						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
अंग्रेजी					• • •	i		
पर्यावरण अध्ययन						·		
विज्ञान					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
सा.विज्ञान				,				
संस्कृत / तृतीय								
้भाषा	ř					•		
कार्यानुभव								
कला शिक्षा								
स्वा. एवं शा. शिक्षा								
<u></u>						1		
					24	2	E. B	
		e						
		10			83			
*समेकित टिप्पणी								
				4	16			
						~		10

नोट :- 1. विषय के सम्मुख कॉलम में ग्रेड अंकित की जाये।

्हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

्रहस्ताक्षर जांचकर्ता

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक मय सील

.

2



विद्यार्थी उपस्थिति विवरण --

1000日の日本の「おとう」のいろしてきる

सत्र	कक्षा	कुल मीटिंग	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	नियमितता पर टिप्पणी
		•			

ঘ−2

(10)